

Roll No. :

Total No. of Questions : 11]

[Total No. of Printed Pages : 4

SLB-287

LL.B. II Year (Supplementary) Examination, 2022

LAW OF CRIMES

Paper - 2.2

Time : 1½ Hours]

[Maximum Marks : 100

Section-A

(Marks : 2 × 10 = 20)

Note :- Answer all *ten* questions (Answer limit **50** words). Each question carries **2** marks.

(खण्ड-अ)

(अंक : 2 × 10 = 20)

नोट :- सभी दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा **50** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **2** अंक का है।

Section-B

(Marks : 7 × 5 = 35)

Note :- Answer all *five* questions. Each question has internal choice (Answer limit **200** words). Each question carries **7** marks.

(खण्ड-ब)

(अंक : 7 × 5 = 35)

नोट :- सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए (उत्तर-सीमा **200** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **7** अंक का है।

Section-C

(Marks : 15 × 3 = 45)

Note :- Answer any *three* questions out of five (Answer limit **500** words). Each question carries **15** marks.

(खण्ड-स)

(अंक : 15 × 3 = 45)

नोट :- पाँच में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा **500** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **15** अंक का है।

BI-188

(1)

SLB-287 P.T.O.

Section–A

(खण्ड–अ)

1. (i) Define Public Servant.
लोकसेवक को परिभाषित कीजिए।
- (ii) What are the types of punishment provided in Indian Penal Code ?
भारतीय दण्ड संहिता में कितने प्रकार के दण्ड के प्रावधान किए गए हैं ?
- (iii) Discuss Insanity as a defence.
उन्मत्तता बचाव के रूप में विवेचना कीजिए।
- (iv) Define Accident.
दुर्घटना को परिभाषित कीजिए।
- (v) Define Abetment.
दुष्प्रेरण को परिभाषित कीजिए।
- (vi) Define Sediton.
राजद्रोह को परिभाषित कीजिए।
- (vii) Define Domestic Violence.
घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए।
- (viii) Explain Grievous Hurt.
गंभीर चोट को परिभाषित कीजिए।
- (ix) Explain the offence of Extortion.
उद्दापन के अपराध को स्पष्ट कीजिए।
- (x) Explain Adultery.
जारकर्म की व्याख्या कीजिए।

Section-B

(खण्ड-ब)

2. Briefly describe the offences in which the capital punishment can be awarded under the Indian Penal Code.

संक्षेप में भारत दण्ड संहिता के उन अपराधों का वर्णन कीजिए जिसमें मृत्युदण्ड दिया जा सकता है।

Or

(अथवा)

What are the various stages of Crimes ?

अपराध के विभिन्न चरण कौनसे हैं ?

3. Explain Mistake of Fact and Mistake of Law.

तथ्य की भूल और विधि की भूल को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain the difference between Medical Insanity and Legal Insanity.

चिकित्सकीय विकृतचित्तता और विधिक विकृतचित्तता में अन्तर कीजिए।

4. Discuss the essentials of Unlawful Assembly.

विधि विरुद्ध जमाव के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए।

Or

(अथवा)

Who is an Abettor ? Discuss the liability of an abettor when the act done is other than act abetted.

दुष्प्रेरक कौन है ? दुष्प्रेरक के दायित्वों की विवेचना कीजिए जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न है।

5. Explain Dowry Death.

दहेज हत्या को समझाइए।

Or

(अथवा)

Describe the salient features of Domestic Violence Act, 2005.

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

6. Explain the ingredients of the offence of Mischief.

रिश्ते के अपराध के आवश्यक तत्वों को समझाइए।

Or

(अथवा)

“Robbery is either theft or extortion.” Explain.

“लूट चोरी है अथवा उद्दापन है।” स्पष्ट कीजिए।

Section-C

(खण्ड-स)

7. Discuss the Intra-territorial and Extra-territorial Jurisdiction of Indian Penal Code.

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तःक्षेत्रीय एवं बाह्यक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

8. Enumerate the circumstances when the right of private defence of body extends to the causing of death to the aggressor.

उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जबकि शरीर की वैयक्तिक प्रतिरक्षा में आक्रमणकारी की मृत्यु कारित की जा सकती है।

9. What is the basis of Joint Liability ? Distinguish between common intention and common object.

संयुक्त दायित्व का क्या आधार है ? सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अन्तर कीजिए।

10. Every murder is a culpable homicide but every culpable homicide is not murder. Illustrate with the help of examples.

प्रत्येक हत्या सदोष मानववध है परन्तु प्रत्येक सदोष मानववध हत्या नहीं होता है। दृष्टान्तों सहित स्पष्ट कीजिए।

11. Discuss the facts, arguments of the parties and the decision of the court in any one leading cases prescribed in your syllabus and state the principles of law laid down in the case.

आपके पाठ्यक्रम में वर्णित प्रमुख वादों में से किसी एक वाद के तथ्यों, पक्षकारों के तर्कों एवं न्यायालय के निर्णय की विवेचना कीजिए तथा उपर्युक्त वाद में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों को भी बताइए।